न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी, जिला–अजमेर

प्रकरण संख्या 69/2022(2022/232)

1. सीमा भण्डारी पत्नि श्री अमित जैन जाति जैन निवासी बालाजी नगर विजयनगर जिला अजमेर।

---प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार केकडी

---अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131भू.राजस्व अधिनियम

–:: आदेश ::–

दिनांक– 15.6.2022

पत्रावली न्यायालय में पेश हुई। वादीया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 भू–राजस्व अधिनियम तहत पेश किया प्रकरण संक्षेप में निम्न प्रकार है–

वाके ग्राम मेवदाकलां तहसील केकडी की आराजी खसरा नम्बर 3876/2519 रकबा 1.26हैक्टर किस्म बारानी उत्तम तथा खसरा नंबर 3881/2494 रकबा 0.07हैक्टर किस्म बारानी उत्तम जो राजस्व रिकोर्ड में वादीया के नाम बतौर खातेदार काश्तकार है उक्त वर्णित आराजी केकडी–मेवदाकंला मुख्य सड़के लगवा स्थित है तथा उक्त आराजी का राजस्व नक्शे के अनुसार सीधी व सटीक लम्बा चक है तथा राजस्व रिकोर्ड के पूर्व नक्शे में भि उक्त वर्णित आरजी सीधी व लम्बी ही नक्शे मे तरमीम थी। उक्त वर्णित आरजी के पूर्व राजस्व रिकार्ड (राजस्व नक्शे) अनुसार हाल नक्शे मे आराजी को तिरछी तरमीम कर दी है जबकि पूर्व के राजस्व नक्शे के अनुसार ही तरमीम होनी चाहिए थी व पूर्व राजस्व नक्शे अनुसार ही मौके पर रकबा पूर्ण है व पूर्ण रकबा वादीया के कब्जे स्वामित्व आधिपत्य उपयोग उपभोग में चला आ रहा है परन्तु उक्त वर्णित आराजी के वर्तमान नक्शे में भू–प्रबधं विभाग द्वारा जारी नक्शे कमे आराजी तिरछी तरमीम कर गयी यानी नक्शे की आकृति में तिरछापन दर्शित कर दिया गया। जबकि मौके पर रकबा पूर्व नक्शे अनुसार है अतः पूर्व नक्शे अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम दुरूस्त किया जाना न्यायोचित में आवश्यक है प्रार्थी द्वारा अपने पुराने राजस्व नक्शे अनुसार वर्तमान नक्शे को दुरूस्त करने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी जरिये पैरोकार सरकार को जर्ये नोटिस सम्मन किया गया। पैरोकार सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी द्वारा उनके पत्र कमांक राजस्व/2022/1065 दिनांक 10.6.2022 से मौका रिपोर्ट/जॉच रिपोर्ट पेश कि जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार केकडी द्वारा जॉच रिपोर्ट निम्नानुसार है–

1. ग्राम मेवदाकलां जमाबंदी संवत् 2069–2072 जमाबंदी 2076 स्थायी खाता संख्या 866 में खसरा नंबर 3876/2519 रकबा 1.26 व खसरा नंबर 2881/2494 रकबा 0.07 किता 2 रकबा 1.33हैक्टर भूमि वादिया सीमा भण्डारी पत्नि अमित जैन हिस्सा पूर्ण जाति जैन निवासी बालाजी रोड विजयनगर जिला अजमेर खातेदार से दर्ज रेकार्ड है।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला–अजमेर)

Scanned with CamScanner

2. वादिया सीमा भण्डारी पत्नी अमित जैन निवासी बालाजी रोड विजयनगर के नाम उक्त खसरा नंबर 3876/2519 रकबा 1.26 व 3881/2494 रकबा 0.07 किता 2 रकबा 1.33हैक्टर भूमि जरिये नामान्करण संख्या 3257 दिनांक 20.4.2022 बैचान से दर्ज हुआ है।
3. ग्राम मेवदाकलां मूल खसरा नंबर 2519 रकबा 7.05हैक्टर भूमि से नवीन खसरा नंबर 3873/2519 रकबा 1.25हैक्टर, 3874/2519 रकबा 1.26हैक्टर, 3875/2519 रकबा 1.25हैक्ट, 3876/2519 रकबा 1.26हैक्टर, 3877/2519 रकबा 0.60हैक्टर, 2519 रकबा 1.43हैक्टर कुल किता 6 रकबा 7.05हैक्टर बने है।
4. दिनांक 6.6.2022 को पटवारी हल्का मेवदाकला के साथ ग्राम मेवदाकला लटठा शीट में तरमीम उक्त खसरा नंबर 3873/2519, 3874/2519, 3875/2519, 3876/2519, 3877/2519 व 2519 का मौका देखा गया। मौका के अनुसार मौके पर काबिज तथा नक्शा शीट में तरमीम मे अन्तर पाया गया। जमावन्दी में दर्ज रकबा व मौके पर काबिज के अनुसार व नक्शा शीट के अनुसार उक्त खसरा नंबर 3873/2519, 3874/2519, 3875/2519, 3876/2519, 3877/2519, 2519 की नक्शा शीट में लाल स्याही से दुरूस्ती तरमीम प्रस्तावित है प्रस्तावित तरमीम के अनुसार नक्शा दुरूस्ती तरमीम किया जाने हेतु उचित है।

पक्षकारान की बहस सुनी गई।

तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया को सुना गया। पैरोकार सरकार को प्रश्नगत प्रकरण पर सुना गया। ग्राम मेवदाकलां के खसरा संख्या 3873/2519, 3874/2519, 3875/2519, 3876/2519, 3877/2519 व 2519 का मौके के अनुसार मौके पर काबिज तथा नक्शा शीट में तरमीम में अन्तर पाया गया। जमावंदी में दर्ज रकबा व मौके पर काबिज के अनुसार व नक्शा शीट में लाल स्याही से प्रस्तावित दुरूस्ती तरमीम के अनुसार दुरूस्ती तरमीम किये जाने का आदेश दिया जाता है तहसीलदार केकडी राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में अमलदरामद की कार्यवाही करे। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करे।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (जिला-अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner